# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या :– 70/2011 दायर तारीख : 01.09.2011

1. कैलाश
2. सन्तोराम
3. जगदीश
4. सुल्तान

पुत्रान स्व0 रामला

5. गौरा देवी पुत्नि स्व0 रामला
6. हरबो
7. फूली
8. चांद
9. श्रवण

पुत्रियान स्व0 रामला

समस्त जाति अहीर निवासी पापडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

——वादीगण

बनाम

1. गुल्लाराम पुत्र छीतर
2. छीतर पुत्र रिछपाल

कौम अहीर निवासी ग्राम पापडा(चकखारडा) तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

3. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
4. उपपंजीयक विराटनगर जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर
5. मैनेजर एस.बी.बी.जे बैंक शाखा विराटनगर जिला जयपुर राज0

—— प्रतिवादीगण

## दावा बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री महेश चन्द्र मुदगल, अधिवक्ता वादीगण

श्री मामराज सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5

पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.09.2019

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम पापडा के खाता संख्या 28/26 में दर्ज खसरा नंबर 1786/0.11, 1807/0.06, 1814/0.03 हैक्टैयर कुल किता 3 रकबा 0.20 हैक्टेयर खातेदार भूमि में हिस्सा 3/4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 के आने वादीगण के हिस्सा 3/8 तथा

मुर्तहीन कर रखी है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 5 को जरूरी फरीक मुकदमा होने से बनाया गया है। यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के संयुक्त खाता एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसका अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। मगर मौके पर कार्य काश्त करने के लिहाज से सरस–नरस बाहमी भाई बंटवारा के आधार पर इस बांट रखी है। तथा अपने हक एवं हिस्से अनुसार काबिज है। खसरा नंबर 1786 के रकबा 0.11 हैक्टेयर में से अपने हिस्से पर वादीगण ने एक पुख्ता मकान दो कमरे का तथा एक–एक पुख्ता मकान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बना रखे है, जो मकान पूर्व–पश्चिम झांकते हुए है, जिनमें दोनो ही पक्ष अपना रहन–सहन अनाज, फसल का तथा चारा–फूस डालने, मवेशियों को रखने के कार्य में निरतंर उपयोग में ले रहे है। खसरा नंबर 1786/0.11, 1807/0.06, 1814/0.03 हैक्टैयर कुल किता 3 रकबा 0.20 हैक्टेयर में वादीगण का हिस्सा 3/8 के हिसाब से 0.75 हैक्टेयर भूमि बंटवारे में आती है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 के भी हिस्सा 3/8 के हिसा से 0.075 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/4 के हिसाब से 0.05 हैक्टेयर भूमि बंटवारा में आती है, जिसका सामलाती से पृथक–पृथक बंटवारा करवाकर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण को समान रूप से संभलवाया जावें। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1786 के रकबा 0.11 हैक्टेयर में से वादीगण के हिस्सा 3/8 के हिसाब से 0.04, 12.5 हैक्टेयर भूमि आती है। प्रतिवादी संख्या 1 के 0.02, 75 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 के हिसाब से आती हे। तथा प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा 3/8 के हिसाब से 0.04, 12.5 हैक्टेयर भूमि आती है। खसरा नंबर 1807 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से उक्त हिस्से अनुसार वादीगण के 0.02.25, प्रतिवादी संख्या 2 के भी 0.02.25 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के 0.01.50 हैक्टेयर भूमि आती है। तथा खसरा नंबर 1814 के रकबा 0.03 हैक्टेयर में से वादीगण के 0.01.12.5 हैक्अेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के भी 0.01.12.5 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के 0.0.75 हैक्टेयर भूमि बंटवारा में आती है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण, वादीगण को बेदखल की एलानिया धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम पापडा के खाता संख्या 28/26 में दर्ज खसरा नंबर 1786/0.11, 1807/0.06, 1814/0.03 कुल किता 3 कुल रकबा 0.20 हैक्टैयर का वादीगण को हिस्सा 3/8 का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajbeer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में कम्प्यूटर नकल जमाबन्दी ग्राम पापडा खसरा नंबर 1786, 1807, 1814 संवत् 2064–2067, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम पापडा, नकल जमाबन्दी ग्राम पापडा खसरा नंबर 1786, 1807, 1814 संवत् 2060–2063 आदि पेश किए है।

3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए, जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में कथन रहे कि वाद पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर 1786, 1807, 1814 खसरा नंबर 897, 869, 899, 814 से बने है, जिनकी खातेदारी पहले ओमकार पुत्र गंगाराम, कन्हैयालाल, रिछपाल, जमना, रामलाल पिता ओमकार के नाम दर्ज थी। हाल सैटलमेन्ट में भूमि मुतनाजा की खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग के नाम दर्ज हो गई, बल्कि भूमि मुतनाजा में इनका केवल 1/3 हिस्सा है। वादीगण का भूमि मुतनाजा में केवल 1/3 हिस्सा है। वादीगण के बुजुर्ग रामला पुत्र ओमकार का केवल 1/3 हिस्सा ही रहा है। हाल सैटलमेन्ट से वादीगण के बुजुर्ग रामला ने एवं प्रतिवादी संख्या 2 छीतर के पिता रिछपाल ने सैटलमेन्ट से आराजी मुतनाजा में अपना 3/4 हिस्सा एवं उनके भाई कन्हैयालाल का 1/4 हिस्सा गलत एवं गैर कानूनी रूप से दर्ज करवा लिया था, जबकि साबिक रिकॉर्ड अनुसार भूमि के 1/3 हिस्से पर कन्हैयालाल पुत्र ओमकार, एवं 1/3 हिस्से पर रामला पुत्र ओमकार व 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 2 छीतर का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। जबकि वास्तविकता यह है कि साबिक खसरा नंबर 897 लगायत 920, 922, 923 किता 26 कुल रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीगण एवं गैरप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक व दादालाई भूमि है, जिसकी खातेदार साबिक सैटलमेन्ट में ओमकार पुत्र गंगाराम, कन्हैयालाल, रिछपाल, रामला, जमना पिता ओमकार के नाम दर्ज थी। खातेदारान में से जमना पुत्र ओमकार, ओमकार पुत्र गंगाराम, रिछपाल पुत्र ओमकार हाल सैटलमेन्ट के काफी पहले फौत हो गये थे। जमना अपने पिता ओमकार से पहले लाऔलाद फौत हुआ था। ओमकार व जमना की मृत्यु के बाद शेष बचे खातेदारान कन्हैयालाल, रिछपाल, रामला ने सम्पूर्ण [illegible] को बहिस्सा बराबर–बराबर हिस्सों में बांट कर बाहमी बंटवारा कर लिया था। बाहमी बंटवारे में अपने–अपने 1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 मृतक रिछपाल का पुत्र है। रामला को मरे हुए भी 5–6 वर्ष हो गए। वादीगण मृतक रामला के वारिसान है। कन्हैयालाल पुत्र ओमकार अभी जिन्दा है। उसे वादीगण ने जानबूझकर पक्षकार मुकदमा दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:06 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 को कर दिया हे। एवं अपने 1/3 हिस्से से शेष बची भूमि पर कन्हैयालाल स्वंय काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि को एस0बी0बी0जे विराटनगर के यहां रहन किया हुआ है। उक्त आराजी मुतनाजा पर खातेदारान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। खसरा नंबर 1786 में वादीगण ने अपने हिस्से 1/3 में अपना मकान बना रखा है। कन्हैयालाल पुत्र ओमकार ने अपने हिस्से में जमीन को उपयोग में ले रहा है। एवं छीतर ने भी अपने हिस्से पर मकान बना रखा है। एवं खसरा नंबर 1807 व 1814 सभी के शामलाती चाही की जमीन है, जिनमें दोनों खसरा नंबरों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती चाह बनी हुई है, जिनमें 1/3 हिस्सा वादीगण ,1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 एवं 1/3 हिस्सा कन्हैयालाल का है। कन्हैयालाल ने उक्त खसरा नंबरान ने अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया है। जिन पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। शेष अपने हिस्से का हकदार कन्हैयालाल स्वयं है। यह है कि साबिक रिकॉर्ड अनुसार वादीगण का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है। तद्नुसार उसके हिस्से में खसरा नंबर 1786 में से केवल 3.33 एयर भूमि आती है, जिसमें उन्होने पुख्ता मकान बना रहा है। एवं आगे मकान से आने–जाने के लिए रास्ते की भूमि छोड रखी है। वादीगण हाल सैटलर्मेन्ट में साजपूर्वक गलत तैयार कराये गए रिकॉर्ड के आधार पर भूमि का कानूनी बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है। खसरा नंबर 1807 व 1814 किता 2 कुल रकबा 0.9 हैक्टेयर में भी वादीगण की तीसरे हिस्से में केवल 0.03 हैक्टेयर भूमि आती है। वादीगण ने बंटवारे में आने वाली भूमि का विवरण गलत दर्ज किया है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1786, 1807, 1014 में वादीगण की 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व कन्हैयालाल पुत्र ओमकार पूर्व खातेदार की हिस्सा 1/3 है। हाल सैटलमेन्ट से वादीगण के बुजुर्ग ने अपने नाम भूमि मुतनाजा का 3/8 हिस्सा गलत दर्ज करवाया है।

5. प्रकरण में तनकीयात विवेचित की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

(1). आया आराजी जेरबहस खसरा नं. 1786, 1807, 1814 वाके ग्राम पापडा का पक्षकारों के मध्य बाहमी बंटवारा हुआ है। वादी मुताबिक कब्जा काश्त विधिवत् बंटवारी करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। ––जिम्मेवादी

(2). आया आराजी जेरबहस में वादी का हिस्सा 3/8 की बजाय 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 का भी हिस्सा 3/8 की बजाय हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 की बजाय 1/3 पारिवारिक वंशावली एवं कब्जे काश्त के अनुसार बनता है। रिकॉर्ड में गलत दर्ज है। ––जिम्मेप्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally Signed by Rajeev Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

उसके साथ कन्सोलिडेट किये जाने योग्य है अन्यथा में सरसरी तौर पर खारिज योग्य है। ——जिम्मेप्रतिवादी

(4). दादरसी

6. तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिए वादीगण की तरफ से गवाह पी. डब्लू. 1 कैलाश स्वयं व गवाह पी.डब्लू. 2 रूडाराम पेश हुए। तथा तनकी संख्या 2 को के साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई भी साक्ष्यवादी के रूप में उपस्थित नहीं हुए।

7. पत्रावली दिनांक 28.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प पापडा में पेश हुई। उभयपक्षों ने राजीनामा पेश किया तथा निवेदन किया है कि वाद पत्र आराजीयात बंटवारा से संबंधित है। उभयपक्षों ने वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। उभयपक्षों की बहस बाद मनन प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया एवं तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।

8. तहसीलदार विराटनगर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई

9. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

10. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाके ग्राम पापडा के खाता संख्या 28/26 में दर्ज खसरा नंबर 1786/0.11, 1807/0.06, 1814/0.03 हैक्टैयर कुल किता 3 रकबा 0.20 हैक्टेयर खातेदार भूमि में हिस्सा 3/4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 के आने वादीगण के हिस्सा 3/8 तथा प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा 3/8 एवं हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2064–67 है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना उक्त भूमि आराजी को हिस्सा 1/4 प्रतिवादी संख्या 5 के नाम राहिन मुर्तहीन कर रखी है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 5 को जरूरी फरीक मुकदमा होने से बनाया गया है। यह है कि आराजी पुत्रान वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के संयुक्त खाता एवं कब्जे बकाश्त की भूमि है जिसका अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। मगर मौके पर कार्य काश्त करने के लिहाज से सरस–नरस बाहमी भाई बंटवारा के अनुसार पर इस बांट रखी है। तथा अपने हक एवं हिस्से अनुसार काबिज है। खसरा नंबर 1786 के रकबा 0.11 हैक्टेयर में से अपने हिस्से पर वादीगण ने एक पुख्ता मकान दो कमरे का तथा एक–एक पुख्ता मकान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बना रखे है, जो मकान पूर्व–पश्चिम झांकते हुए है, जिनमें दोनो ही पक्ष अपना रहन–सहन अनाज, फसल का तथा चारा–फूस डालने, मवेशियों को रखने के कार्य में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा 3/8 के हिसाब से 0.75 हैक्टेयर भूमि बंटवारे में आती है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 के भी हिस्सा 3/8 के हिसा से 0.075 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/4 के हिसाब से 0.05 हैक्टेयर भूमि बंटवारा में आती है जिसका सामलाती से पृथक–पृथक बंटवारा करवाकर कब्जा वादीगण व प्रतिवादीगण को समान रूप से संभलवाया जावें। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1786 के रकबा 0.11 हैक्टेयर में से वादीगण के हिस्सा 3/8 के हिसाब से 0.04, 12.5 हैक्टेयर भूमि आती है। प्रतिवादी संख्या 1 के 0.02, 75 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 के हिसाब से आती है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा 3/8 के हिसाब से 0.04, 12.5 हैक्टेयर भूमि आती है। खसरा नंबर 1807 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से उक्त हिस्से अनुसार वादी गण के 0.02.25, प्रतिवादी संख्या 2 के भी 0.02.25 हैक्टेयर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के 0.01. 50 हैक्टेयर भूमि आती हे। तथा खसरा नंबर 1814 के रकबा 0.03 हैक्टेयर में से वादीगण के 0.01.12.5 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के भी 0.01.12. 5 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के 0.0.75 हैक्टेयर भूमि बंटवारा में आती है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण, वादी को एलानिया धमकियां देता है, जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। उभयपक्षों के निवेदन पर प्रकरण में बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढ़कर समझाया गया। जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कार्यजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

11. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

**आदेश**

वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कार्यजात रिपोर्ट मय नक्शा हेतु निर्णय एवं डिक्री का भाग

| क्र. सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर/रकबा |
|---|---|---|
| 1 | गुलाब चंद पुत्र छीतर जाति अहीर | 1786/1/0.0250 हैक्टेयर |
| 2 | छीतर पुत्र रिछपाल जाति अहीर | 1786/3/0.0375 हैक्टेयर |
| 3 | गौरा देवी पत्नि रामला हिस्सा 1/24, संताराम, कैलाश, जगदीश, सुल्तान पिता रामला हिस्सा 4/24, हरबी, फूली, चांद, श्रवण पुत्रियान रामला हिस्सा 4/24 कोम अहीर खातेदार | 1786/2/0.0375 हैक्टेयर |
| 4 | गुलाब चंद पुत्र छीतर हिस्सा 1/4, छीतर पुत्र रिछपाल हिस्सा 3/8, गौरा देवी पत्नि रामला, संताराम, कैलाश, जगदीश, सुल्तान पिता रामला, हरबी, फूली, चांद, श्रवण पुत्रियान रामला हिस्सा 9/24 कौम अहीर खातेदार | 1807/0.06, 1786/0.01, 1814/0.03 हैक्टेयर |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

**निर्णय दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

# डिक्री मुकदमा इबतदाई ( ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

**अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर**

**बइजलास :— राजवीर सिंह यादव** आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कैलाश
2. सन्ताराम ⎫ पुत्रान स्व0 रामला
3. जगदीश
4. सुल्तान
5. गौरा देवी पत्नि स्व0 रामला
6. हरबो
7. फूली ⎫ पुत्रियान स्व0 रामला
8. चांद
9. श्रवण

समस्त जाति अहीर निवासी पापडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

**——वादीगण**

बनाम

1. गुल्लाराम पुत्र छीतर ⎫ कौम अहीर निवासी ग्राम पापडा(चकखारडा)
2. छीतर पुत्र रिछपाल ⎭ तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
3. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
4. उपपंजीयक विराटनगर जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर
5. मैनेजर एस.बी.बी.जे बैंक शाखा विराटनगर जिला जयपुर राज0

**—— प्रतिवादीगण**

**मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 70/2011 दावा बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू **श्री महेश चंद मुदग्ल** व हाजरी ..................मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री मातादीन सैनी, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं श्री अशोक कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 5** कार्यवाही मिन जानिब मुआमलह पेश होकर निवेदन किया है कि ग्राम पापडा के खाता संख्या [illegible]/26 में दर्ज खसरा नंबर 1786/0.11, 1807/0.06, 1814/0.03 कुल [illegible] किता 3 कुल रकबा 0.20 हैक्टैयर का वादीगण को हिस्सा 3/8 का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

**सुना गया।** मुकदमा में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी

बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

**अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| क्र. सं. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर/रकबा |
|---|---|---|
| 1 | गुलाब चंद पुत्र छीतर जाति अहीर | 1786/1/0.0250 हैक्टेयर |
| 2 | छीतर पुत्र रिछपाल जाति अहीर | 1786/3/0.0375 हैक्टेयर |
| 3 | गौरा देवी पत्नि रामला हिस्सा 1/24, संताराम, कैलाश, जगदीश, सुल्तान पिता रामला हिस्सा 4/24, हरबी, फूली, चांद, श्रवण पुत्रियान रामला हिस्सा 4/24 कोम अहीर खातेदार | 1786/2/0.0375 हैक्टेयर |
| 4 | गुलाब चंद पुत्र छीतर हिस्सा 1/4, छीतर पुत्र रिछपाल हिस्सा 3/8, गौरा देवी पत्नि रामला, संताराम, कैलाश, जगदीश, सुल्तान पिता रामला, हरबी, फूली, चांद, श्रवण पुत्रियान रामला हिस्सा 9/24 कौम अहीर खातेदार | 1807/0.06, 1786/0.01, 1814/0.03 हैक्टेयर |

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान [illegible] कर लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन जो जो [illegible] प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

**निर्णय दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

( राजवीर सिंह यादव R.A.S. )

मुबलिक ...................शून्य............................ बाबत .............शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ...........शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ..........शून्य..... का अदा करें। अब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.09.2019 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

| मुद्दई | रूपया | मुद्दायलह | रूपया |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प बजह सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बबत इजराय हुक्मनामा | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतजरिक | |
| मीजान | शून्य | मीजान | शून्य |

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया।

( राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested